CGRG010024252022

Presented on : 13-12-2022
Registered on : 13-12-2022
Decided on : 17-06-2026

IN THE COURT OF विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003) रायगढ़ (छ०ग०) Presiding Officer : श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन	
Case Number :	**Special Criminal Case under The Electricity Act**/348/2022 (**CNR No**.: **GRG**010024252022)
Complainant :	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र–पूंजीपथरा जिला–रायगढ़(छ.ग.)
Represented By –	श्री योगेश कुमार प्रधान अपर लोक अभियोजक
Accused –	1.एकनाथ राठिया पिता केशव प्रसाद राठिया, उम्र–29 वर्ष, 2.धनेश्वर राठिया पिता लालाराम राठिया, उम्र–26 वर्ष, 3.भीष्मदेव राठिया पिता जपीराम राठिया, उम्र–28 वर्ष, निवासी–ग्राम छर्राटांगर, थाना–पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
Represented By –	श्री अभिजीत मलिक अधिवक्ता ।

FORM–E

घटना दिनांक	21.08.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	24.09.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	13.12.2022
आरोप विरचित दिनांक	17.01.2023
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथि	10.03.2023
निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक	17.06.2026
निर्णय दिनांक	17.06.2026
दंडित करने की तिथि, यदि कोई हो ।	–

Accused Details :

अभियुक्त क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति/ दोषसिद्धि	दी गई सजा	विचारण के दोरान अभिरक्षा में व्यतीत अवधि धारा 468 भा.ना.सु.सं. हेतु
(1)	एकनाथ राठिया	24.09.2022	07.10.2022	धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 एवं धारा 304 ए भा.दं.सं.	दोषमुक्ति	–	दिनांक 24.09.2022 से 07.10.2022 तक कुल 13 दिन
(2)	धनेश्वर राठिया	24.09.2022	07.10.2022	धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 एवं धारा 304 ए भा.दं.सं.	दोषमुक्ति	–	दिनांक 24.09.2022 से 07.10.2022 तक कुल 13 दिन
(3)	भीष्मदेव	24.09.2022	07.10.2022	धारा 135 विद्युत	दोषमुक्ति	–	दिनांक

	राठिया			अधिनियम 2003 एवं धारा 304 ए भा.दं.सं.			24.09.2022 से 07.10.2022 तक कुल 13 दिन

INDEX

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	4–5
4	स्वीकृत तथ्य	5
5	अभियोजन का प्रकरण	5 – 7
6	अभियोजन पक्ष की संख्या और बचाव पक्ष के गवाह, दस्तावेज	8–11
7	अंतिम तर्क	11
8	अवधारणीय प्रश्न	7–8
9	निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार	11–22
10	दंडादेश	–
11	संपत्ति का निराकरण	23
12	प्रतिकर का आदेश	–
13	निरोध अवधि प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 468 भा.ना.सु.सं.	24

14	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट (कारावास या अर्थदण्ड)	–
15	निर्णय की प्रतिलिपि	1

// निर्णय //
(आज दिनांक–17/06/2026 को घोषित)

(1) आरोपीगण के विरूद्ध **धारा–135 विद्युत अधिनियम 2003 एवं धारा 304–ए भा.दं.सं.** के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 21.08.2022 को समय रात्रि 21.00 बजे स्थान–ग्राम हर्राडीह के टिकरा जंगल, थाना–पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत में उन्होंने विद्युत कंपनी से वैध रूप से विद्युत सर्विस कनेक्शन प्राप्त किये बिना तथा विद्युत कंपनी का नियमानुसार उपभोक्ता नहीं होते हुए भी ऐसे संसाधनों से जो विद्युत कंपनी द्वारा प्राधिकृत नहीं थे, सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में विद्युत कंपनी के निम्नदाब विद्युत लाईन से जंगली जानवर मारने के लिये अवैध रूप से हुकिंग कर विद्युत का अवैध उपयोग करते हुए विद्युत ऊर्जा की चोरी कारित की तथा उसी दिनांक, समय व स्थान पर उपेक्षा व उतावलेपन से बिजली तार की हुकिंग कर जंगली जानवर मारने के लिये छड़ बांधने वाले नंगा तार में करेंट प्रवाहित किये थे, उसी दौरान

लोकनाथ राठिया का हाथ विद्युत करेंट तार में फंस जाने से घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु कारित किया जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ।

(2) प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि घटना दिनांक 21.08.2022 को मृतक लोकनाथ राठिया आरोपीगण के साथ घर से बाहर गया था तथा उक्त घटना दिनांक को ही लोकनाथ राठिया की मृत्यु हो गयी थी।

(3) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.08.2022 को सूचक भीष्म देव राठिया ने थाना पूंजीपथरा में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक मर्ग रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 21.08.2022 के समय शाम 5.30 बजे वह तथा गांव के लोकनाथ राठिया, एकनाथ राठिया एवं धनेश्वर राठिया के साथ हर्राडीह टिकरा जंगल में छड़ बांधने वाला तार लेकर बिजली करेंट से जंगली जानवर का शिकार करने के लिए गये थे और नंगा तार को बिछाकर उसमें करेंट प्रवाहित किये उसी तार में मृतक लोकनाथ राठिया का हाथ फंस जाने से और उसको बिजली करेंट लगने से मौके पर ही मौत हो गयी । उक्त रिपोर्ट पर थाने के मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 37/2022 धारा 174 जा.फौ. कायम कर प्रकरण जांच पंचनामा

कार्यवाही में लिया गया ।

(4) मर्ग जांच के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा मृतक लोकनाथ राठिया के शव का पंचनामा एवं पोस्ट मार्टम कराया गया । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु विद्युत करेंट लगने से होना लेख किया गया है। मर्ग जांच पर अपराध धारा 304, 34 भा.दं.सं. का घटित होना पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । भीष्मदेव राठिया का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया । मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त तार को भीष्मदेव राठिया से जप्त किया गया । प्रकरण में जप्तशुदा तार को सब इंजीनियर घरघोड़ा से परीक्षण कराया गया तथा बिजली तार में अवैध रूप से करेंट प्रवाहित करना पाये जाने से प्रकरण में **धारा 135 विद्युत अधिनियम** संयोजित किया गया।

(5) विवेचना के दौरान गवाहों से पूछताछ कर उनका कथन लेखबद्ध किया तथा विधिवत जप्ती कार्यवाही एवं आरोपीगण की गिरफ्तारी की कार्यवाही किया गया । विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध **धारा 304(ए), (34) भा.दं.सं. एवं धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003** के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से संपूर्ण विवेचना पूर्ण उपरांत उपरोक्त

धाराओं के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

(6) आरोपीगण के विरुद्ध प्रथमदृष्टया **धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 एवं धारा 304 ए भा.दं.सं.** के तहत आरोप विरचित किया जाकर आरोपीगण को आरोप पत्र पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया, जिसके आधार पर प्रकरण में विचारण पूर्ण किया गया ।

(7) अभियोजन साक्ष्य पूर्ण उपरान्त आरोपीगण का **धारा–351 भा.ना.सु.सं. 2023** के अंतर्गत अभिलिखित किये गये कथन में आरोपीगण द्वारा स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना अभिकथित कर बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया गया तथा आरोपीगण की ओर से अपने बचाव में कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(8) **प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं–**

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 21.08.2022 को समय रात्रि 21.00 बजे स्थान–ग्राम हर्राडीह के टिकरा जंगल, थाना–पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत में उन्होंने विद्युत कंपनी से वैध रूप से विद्युत सर्विस कनेक्शन प्राप्त किये

बिना तथा विद्युत कंपनी का नियमानुसार उपभोक्ता नहीं होते हुए भी ऐसे संसाधनों से जो विद्युत कंपनी द्वारा प्राधिकृत नहीं थे, सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में विद्युत कंपनी के निम्नदाब विद्युत लाईन से जंगली जानवर मारने के लिये अवैध रूप से हुकिंग कर विद्युत का अवैध उपयोग करते हुए विद्युत ऊर्जा की चोरी कारित की?

2. क्या आरोपीगण ने उपेक्षा व उतावलेपन से बिजली तार की हुकिंग कर जंगली जानवर मारने के लिये छड़ बांधने वाले नंगा तार में करेंट प्रवाहित किये थे, उसी दौरान लोकनाथ राठिया का हाथ विद्युत करेंट तार में फंस जाने से घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु कारित किया जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

3. आरोपीगण की दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति ?

(9) अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित साक्षीगण का परीक्षण कराया गया है:–

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.01	नारद राठिया	गवाह (मृतक का चाचा)
अ.सा.02	तिलक राठिया	गवाह
अ.सा.03	परमेश्वर	गवाह

अ.सा.04	रसकुमार	गवाह
अ.सा.05	जीवनलाल	मेमोरेण्डम, जप्ती पंचनामा गवाह
अ.सा.06	हरदयाल राठिया	मेमोरेण्डम, जप्ती पंचनामा गवाह
अ.सा.07	भरतलाल राठिया	गवाह
अ.सा.08	डॉ.डी.एस. पैकरा	मृतक का पी.एम. कर्ता चिकित्सा अधिकारी
अ.सा.09	उमा सिदार (पटवारी)	नजरी नक्शा
अ.सा.10	कमलेश्वर राठिया	पंचनामा गवाह
अ.सा.11	सुरेश राठिया	पंचनामा गवाह
अ.सा.12	सतीश कुमार ठाकुर सहा.यंत्री	जप्तशुदा तार का परीक्षणकर्ता गवाह
अ.सा.13	उपनिरीक्षक विजय कुमार एक्का	विवेचनाकर्ता

(10) अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया है:-

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श संख्या
1	पंचान नोटिस	प्रदर्श पी 01
2	साक्षी नारद राठिया का पुलिस कथन	प्रदर्श पी 02
3	साक्षी परमेश्वर का पुलिस कथन	प्रदर्श पी 03
4	साक्षी रसकुमार का पुलिस कथन	प्रदर्श पी 04

5	धारा 160 दं.प्र.सं. का नोटिस	प्रदर्श पी 05
6	आरोपी भीष्मदेव का मेमोरेण्डम कथन	प्रदर्श पी 06
7	जप्ती पत्रक	प्रदर्श पी 07
8	आरोपी एकनाथ का गिरफ्तारी पत्रक	प्रदर्श पी 08
9	आरोपी धनेश्वर राठिया का गिरफ्तारी पत्रक	प्रदर्श पी 09
10	आरोपी भीष्मदेव का गिरफ्तारी पत्रक	प्रदर्श पी 10
11	साक्षी भरतलाल राठिया का पुलिस कथन	प्रदर्श पी 11
12	मृतक का पी.एम. रिपोर्ट	प्रदर्श पी 12
13	पटवारी नजरी नक्शा	प्रदर्श पी 13
14	नक्शा पंचायतनामा	प्रदर्श पी 14
15	सहायक यंत्री द्वारा दिया गया प्रतिवेदन	प्रदर्श पी 15
16	थाना प्रभारी द्वारा दिया गया प्रतिवेदन	प्रदर्श पी 16
17	मर्ग इंटीमेशन	प्रदर्श पी 17
18	नजरी नक्शा	प्रदर्श पी 18
19	कर्तव्य प्रमाण पत्र	प्रदर्श पी 19
20	प्रथम सूचना पत्र	प्रदर्श पी 20
21	घटना स्थल का नजरी नक्शा	प्रदर्श पी 21
22	गिरफ्तारी की सूचना	प्रदर्श पी 22
23	पहचान पंचनामा	प्रदर्श पी 23
24	पटवारी नक्शा प्रदाय करने के संबंध में	प्रदर्श पी 24

	तहसीलदार घरघोड़ा को प्रेषित पत्र	

(11) अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में पेश सामग्री के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित धारा का अपराध संदेह से परे प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत अपराध में विधि अनुसार दंड से दंडित किया जावे।

(12) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्क में यह व्यक्त किया गया कि अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण को अपने साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है । अतः आरोपीगण को संदेह का लाभ प्रदान करते हुये आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 पर सकारण निष्कर्ष

चूंकि विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 के निराकरण हेतु जिन तथ्यों एवं साक्ष्यों की आवश्यकता होगी वे एक दूसरे से अनन्य रूप से संसक्त हैं । अतः साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने एवं साक्ष्य विश्लेषण के क्रमबंधन की सुविधा की दृष्टि से उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

(13) **सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या मृतक लोकनाथ राठिया की मृत्यु विद्युत करेंट के उसके शरीर में प्रवाहित होने से हुई है?**

(14) अभियोजन साक्षी **विजय कुमार एक्का (अ.सा.–13) उपनिरीक्षक** ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 22.08.2022 को रात्रि लगभग 01.00 बजे सूचक भीष्मदेव राठिया के द्वारा मृतक लोकनाथ राठिया की बिजली करेंट से मृत्यु होने की सूचना पर उसके द्वारा मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 37/2022 **प्रदर्श पी 17** कायम किया गया था जिस पर उसके एवं सूचक के हस्ताक्षर हैं। इसी साक्षी ने आगे अपने कथन में मृतक लोकनाथ राठिया के शव के पी.एम. हेतु पंचान एवं वारिसानों को **प्रदर्श पी 01** की नोटिस देकर नक्शा पंचायतनामा **प्रदर्श पी 14** तैयार किया था तथा आरक्षक जितेन्द्र भगत को शव के पी.एम. कराने हेतु शव परीक्षण प्रतिवेदन **प्रदर्श पी 12** भरकर सी.एच.सी. तमनार भेजना बताया है ।

(15) अभियोजन साक्षीगण **कमलेश्वर राठिया (अ.सा.10) एवं सुरेश राठिया (अ.सा.11) ने उपनिरीक्षक विजय कुमार एक्का (अ.सा.13)** के कथनों का समर्थन करते हुए नोटिस **प्रदर्श पी 01** एवं नक्शा पंचायतनामा **प्रदर्श पी 14** पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है ।

(16) उक्त साक्षीगण के कथनों का समर्थन करते हुए मृतक लोकनाथ

राठिया के शव का परीक्षण करने वाले **चिकित्सकीय साक्षी डॉ. डी.एस. पैकरा (अ.सा.–08)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 22.08.2022 को थाना तमनार के आरक्षक द्वारा मृतक लोकनाथ राठिया के शव परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाये जाने पर उक्त शव का **बाह्य परीक्षण** करने पर पाया कि शव में अकड़न थी, दोनों आंखे बंद थी, मुंह आधा खुला हुआ था, मृतक के दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुली में बिजली से जले हुए का निशान था और काला पड़ा हुआ था ।

(17) उक्त चिकित्सकीय साक्षी का आगे यह भी कथन है कि उसने शव का **आंतरिक परीक्षण** करने पर पाया कि शव के खोपड़ी एवं मस्तिष्क में कोई चोट के निशान नहीं थे एवं खोपड़ी एवं मस्तिष्क सामान्य थी । शव में किसी प्रकार का कोई फैक्चर नहीं पाया गया था। उक्त साक्षी के **अभिमतानुसार मृतक की मृत्यु इलेक्ट्रिक करेंट लगने से हृदय गति रूकने के कारण हुई थी,जो दुर्घटनात्मक प्रकृति की थी** । मृतक की मृत्यु का समय शव परीक्षण के 12 से 15 घण्टे के भीतर हुई थी । पी.एम. रिपोर्ट **प्रदर्श पी 12** है जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उक्त साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से कोई तात्विक खंडन नहीं किया जा सका है ।

(18) अतः खंडन के अभाव में उक्त चिकित्सकीय साक्षी के कथनों

पर अविश्वास किये जाने का कोई भी कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं है तथा चिकित्सकीय साक्षी द्वारा प्रदत्त पी.एम. रिपोर्ट **प्रदर्श पी 12** के अनुसार **मृतक लोकनाथ राठिया की मृत्यु विद्युत करेंट लगने से होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है ।**

(19) अब प्रकरण में यह देखा जाना है कि **क्या मृतक लोकनाथ राठिया की मृत्यु अभियुक्तगण द्वारा विद्युत कंपनी के निम्न दाब लाईन से अवैध हुकिंग कर विद्युत कनेक्शन लिये जाने पर विद्युत तार में फंस कर विद्युत करेंट के चपेट में आने से हुई है ?**

(20) अभियोजन साक्षी **तिलक राठिया (अ.सा.–02)** ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना के संबंध में कथन किया है कि मृतक लोकनाथ राठिया उसका पुत्र था । वह आरोपीगण को जानता, पहचानता है । उसका मृतक पुत्र घटना दिनांक को आरोपीगण के साथ घर से बाहर गया था दूसरे दिन सुबह उसे जानकारी हुई कि उसके पुत्र लोकनाथ की मृत्यु विद्युत करेंट में फंसकर हुई थी । बिजली का तार किसने लगाया था उसे जानकारी नहीं है । इस साक्षी के आगे कथनानुसार उसके पुत्र के शव को आरोपीगण लेकर आये थे ओर रास्ते में रखे थे । उसने पुलिस को घटना के संबंध में कोई बात नहीं बताई थी ।

(21) अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण स्वरूप प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका पुत्र एवं आरोपीगण जंगल में बिजली का तार लगाकर बिजली करेंट से जंगली जानवर को मारने के लिए गये थे तथा आरोपीगण के साथ मिलकर मृतक द्वारा जंगली जानवर मारने के लिए बिजली का जो तार बिछाकर करेंट प्रवाहित किया गया था उसी तार में फंस कर बिजली के करेंट के चपेट में आकर उसके पुत्र लोकनाथ की मृत्यु हो गई थी ।

(22) प्रतिपरीक्षण की **कंडिका 07** में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने बिजली का तार लगाते हुए किसी को नहीं देखा है तथा उसका पुत्र घर से निकलने के बाद कहां गया था उसने नहीं देखा है तथा पुलिस वालों के बताने पर उसे जानकारी हुई कि उसके पुत्र मृतक के द्वारा आरोपीगण के साथ मिलकर जंगली जानवर मारने के लिए बिजली तार बिछाकर करेंट प्रवाहित किया गया था उसी तार में फंस कर बिजली करेंट की चपेट में आ जाने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी । यह भी स्वीकार किया है कि उसके पुत्र की मृत्यु कैसे हुई इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है । इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है तथा उसके कथनों में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध किये जाने के संबंध में कोई भी तथ्य

प्रकट नहीं हो रहा है ।

(23) अभियोजन साक्षीगण **तिलक राठिया (अ.सा.–02), परमेश्वर (अ.सा.–03), रसकुमार (अ.सा.–04), जीवन लाल (अ.सा.–05) एवं भरत लाल राठिया (अ.सा.–07)** ने अपने न्यायालयीन कथन में मृतक लोकनाथ राठिया की मृत्यु कैसे हुई इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होना कथन किये हैं । उक्त सभी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में भी आरोपीगण के विरूद्ध कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया है । इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष को कोई बल समर्थन प्राप्त नहीं होता है तथा अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है ।

(24) अभियोजन साक्षी **उमा सिदार (अ.सा.–09) पटवारी** ने प्रकरण में तहसीलदार के आदेश प्राप्त होने पर दिनांक 31.08.2022 को घटना स्थल जाकर ग्राम कोटवार एवं गवाहों के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्रदर्श पी 13** तैयार किये जाने का कथन किया है । प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह, यह नहीं बता सकती कि घटना स्थल के रूप में चिन्हित खेत का स्वामी कौन है । यह भी स्वीकार किया है कि उसने नजरी नक्शा **प्रदर्श पी 13** में गांव के किसी भी व्यक्ति का हस्ताक्षर गवाह के रूप में नहीं लिया है । इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से नजरी नक्शा

प्रदर्श पी 13 में किसी भी स्वतंत्र साक्षियों के उपस्थिति में तैयार किया जाना दर्शित नहीं हो रहा है ।

(25) प्रकरण के **विवेचना अधिकारी विजय कुमार एक्का (अ.सा.13) उपनिरीक्षक** के कथनानुसार उसने दिनांक 27.09.2022 को कनिष्ठ यंत्री विद्युत वितरण केन्द्र, घरघोड़ा को अपराध में प्रयुक्त जप्तशुदा सेंट्रिंग बांधने वाले नंगे तार का परीक्षण देने के संबंध में पत्र **प्रदर्श पी 16** लिखा था इस संबंध में अभियोजन साक्षी **सतीश कुमार ठाकुर (अ.सा. 12) सहायक यंत्री** ने उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए न्यायालयीन कथन किया है कि दिनांक 11.10.2022 को थाना पूंजीपथरा के अपराध क्रमांक 234/2022 के प्रकरण में मृतक लोकनाथ राठिया की मृत्यु छड़ बांधने वाले तार से होने तथा उक्त तार में करेंट प्रवाहित करने के संबंध में पत्र क्रमांक 1099/2022 दिनांक 27.09.2022 के माध्यम से प्रतिवेदन सहित अभिमत चाहा गया था।

(26) उक्त साक्षी का आगे कथन है कि उपरोक्त् पत्र के आधार पर उसने दो बिन्दुओं पर अभिमत दिया था–1. मृतक लोकनाथ राठिया की मृत्यु छड बांधने वाले तार से हो सकने के संबंध में अभिमत दिया था । 2. उक्त तार में करेंट प्रवाहित करने के संबंध में उक्त तार में करेंट प्रवाहित करना

अवैध होने के संबंध में अभिमत दिया था। उसके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन **प्रदर्श पी 15** है तथा थाना प्रभारी द्वारा दिया गया प्रतिवेदन **प्रदर्श पी 16** है ।

(27) प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल नहीं गया था इसलिए उसने यह नहीं देखा था कि किस तार से विद्युत प्रवाहित हो रही थी और मृतक की मृत्यु करेंट लगने से हुई थी या नहीं, इस संबंध में नहीं बता सकता है । यह भी स्वीकार किया है कि **प्रदर्श पी 15** के प्रतिवेदन में उसका हस्ताक्षर नहीं है । इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित नहीं हो रहा है कि आरोपीगण के द्वारा तार में अवैध रूप से करेंट प्रवाहित करने के फलस्वरूप मृतक लोकनाथ राठिया की मृत्यु कारित हुई है ।

(28) प्रकरण के विवेचनाधिकारी **विजय कुमार एक्का (अ.सा.–13) उपनिरीक्षक** ने कथन किया है कि विवेचना दौरान उसने थाना पूंजीपथरा के **अपराध क्रमांक 234/2022 अंतर्गत धारा 304, 34 भा.दं.सं.** के तहत आरोपीगण एकनाथ राठिया, भीष्मदेव राठिया एवं धनेश्वर राठिया के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना पत्र **प्रदर्श पी 22** लेखबद्ध किया था । इस साक्षी के आगे कथनानुसार उसने घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्रदर्श पी 21** तैयार किया था तथा साक्षीगण हरदयाल राठिया एवं जीवन लाल राठिया को धारा 160 दं.प्र.सं. के तहत नोटिस **प्रदर्श पी 05** दिया था जिस पर उसके एवं

साक्षियों के हस्ताक्षर हैं।

(29) उक्त साक्षी का आगे कथन है कि उसने साक्षियों के समक्ष आरोपी भीष्मदेव राठिया से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी 06** लेखबद्ध किया था तथा उक्त मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी 06** के आधार पर उक्त दिनांक को ही आरोपी भीष्मदेव राठिया के पेश करने पर तीन बंडल सेंट्रिंग छड़ बांधने वाला नंगा तार साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 07** के अनुसार जप्त किया था तथा आरोपीगण को गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्र**दर्श पी 08, 09 एवं 10** के अनुसार गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना **प्रदर्श पी 22** आरोपीगण के परिजन को दिया था तथा आरोपीगण के पहचान के संबंध में पहचान पंचनामा **प्रदर्श पी 23** तैयार किया था तथा साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया जाना व्यक्त कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना कथन किया है ।

(30) विवेचना अधिकारी **विजय कुमार एक्का (अ.सा.–13) उपनिरीक्षक** ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि नजरी नक्शा **प्रदर्श पी 18** में घटना स्थल के रूप में जिस स्थान को दर्शाया गया है कि वास्तव में वह घटना स्थल नहीं है तथा **प्रदर्श पी 21** में जिस स्थान को घटना स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है वह स्थान खेत के बीच में है, घटना स्थल के पास

मेड़ है जिसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तथा जब वह घटना स्थल पर गया था ट्रांसफार्मर से कोई भी नंगा तार लगा हुआ नहीं था । **कंडिका 18** में यह स्वीकार किया है कि विवेचना दौरान उसने घटना स्थल से बिजली का कोई भी तार जप्त नहीं किया है तथा यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जप्तशुदा तार को सीलबंद नहीं किया गया था और घटना स्थल पर स्थित ट्रांसफार्मर में विद्युत करेंट प्रवाहित होने के संबंध में उसने विद्युत विभाग से पृथक से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया था ।

(31) चिकित्सकीय साक्षी **डॉ. डी.एस. पैकरा (अ.सा.–08)** के साक्ष्य से यह तथ्य तो प्रमाणित है कि मृतक लोकनाथ राठिया की मृत्यु विद्युत करेंट प्रवाहित होने के कारण हुई है किंतु उक्त विद्युत करेंट आरोपीगण द्वारा घटना स्थल पर जंगली जानवर को मारने के लिए बिछाये गये अवैध रूप से तार में विद्युत प्रवाहित करने के कारण करेंट के चपेट में आने से मृतक की मृत्यु हुई है इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है । प्रकरण के विवेचक **विजय कुमार एक्का (अ.सा.13) उपनिरीक्षक** के साक्ष्य से घटना स्थल के आस–पास ट्रांसफार्मर होने एवं ट्रांसफार्मर से कोई भी विद्युत का नंगा तार लगे होने की पुष्टि नहीं होती है ।

(32) उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से यह दर्शित है कि

प्रकरण में घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मृतक की मृत्यु विद्युत तार में विद्युत करेंट प्रवाहित होने से करेंट लगने से उसकी मृत्यु हुई । इस संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथनों से विवेचक के साक्ष्य की पुष्टि नहीं होती है तथा आरोपीगण के विरूद्ध जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं अत्यंत तुच्छ व दुर्बल प्रकृति के साक्ष्य विद्यमान है जिसके आधार पर आरोपी की **धारा 304 ए भारतीय दंड संहिता** के तहत दोषसिद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

(33) प्रकरण में प्रस्तुत अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि वि**द्युत अधिनियम की धारा 135** के विधिक प्रावधानों का पालन भी नहीं किया गया है तथा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से हुकिंग कर विद्युत का अवैध उपयोग करते हुए विद्युत ऊर्जा की चोरी किये जाने के संबंध में भी विद्युत विभाग के किसी भी अधिकारी का प्रमाणिक साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण के विरूद्ध **धारा 135 विद्युत अधिनियम** के अंतर्गत अपराध कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है ।

(34) अतः उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि प्रकरण के विवेचक द्वारा

मात्र संदेह के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण तैयार किया गया है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह कितना ही प्रबल क्यो न हो सबूत का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती है ।

(35) अतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है । फलस्वरूप **आरोपीगण एकनाथ राठिया, धनेश्वर राठिया एवं भीष्मदेव राठिया** को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए **धारा–135 विद्युत अधिनियम 2003 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए** के अंतर्गत आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है ।

(36) आरोपीगण इस प्रकरण में दिनांक 24.09.2022 से दिनांक 07.10.2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। अतः न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि के संबंध में **धारा–468 भा.ना.सु.सं.** के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे तथा अभिलेख में संलग्न किया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा ।

(37) आरोपीगण की ओर से **धारा–481 भा.ना.सु.सं.** के आलोक में पूर्व में प्रस्तुत जमानत–मुचलका निर्णय दिनांक से आगामी छः माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा ।

(38) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 03 बंडल सेंट्रिंग छड़ बांधने वाला तार है मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे ।

(39) निर्णय की सत्यप्रति अपर लोक अभियोजक को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

TAJESHWARI DEVI DEWANGAN Digitally signed by TAJESHWARI DEVI DEWANGAN Date: 2026.06.17 18:01:47 +0530

(श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन)
विशेष न्यायाधीश
(अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003)
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया ।

TAJESHWARI DEVI DEWANGAN Digitally signed by TAJESHWARI DEVI DEWANGAN Date: 2026.06.17 18:01:53 +0530

(श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन)
विशेष न्यायाधीश
(अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003)
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

स्थान–रायगढ़(छ.ग.)

दिनांक–17.06.2026

Special Case No. ELECTRICITIES ACT/348/2022
छ.ग.राज्य विरूद्ध एकनाथ राठिया वगैरह

न्यायालयः–श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन विशेष न्यायाधीश, रायगढ़ (छ0ग0)
(अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003)

// प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा–468 भा.ना.सु.सं. //					
क्र0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	सेट ऑफ की अवधि
1	एकनाथ राठिया	24.09.2022	निरंक	दिनांक 24.09.2022 से दिनांक 07.10.2022 तक कुल 13 दिन	निरंक
2	धनेश्वर राठिया	24.09.2022	निरंक	दिनांक 24.09.2022 से दिनांक 07.10.2022 तक कुल 13 दिन	निरंक
3	भीष्मदेव राठिया	24.09.2022	निरंक	दिनांक 24.09.2022 से दिनांक 07.10.2022 तक कुल 13 दिन	निरंक

स्थान–रायगढ़(छ.ग.)

दिनांक–17.06.2026

TAJESHWARI DEVI DEWANGAN

Digitally signed by TAJESHWARI DEVI DEWANGAN
Date: 2026.06.17 18:01:36 +0530

(श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन)
विशेष न्यायाधीश
(अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003)
जिला रायगढ़ (छ.ग.)